1

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य अंतर्गत चिन्हित अंतर–राज्य संचरण प्रणाली के निर्माण एवं विकास के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कार्यों का सम्पादन कराने हेतु मेसर्स आर0ई0सी0 पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड को "बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर" के रूप में नामित करते हुए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) करने एवं विभागीय स्तर पर राज्य सशक्त समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार राज्य अंतर्गत चिन्हित अंतर–राज्य संचरण प्रणाली के निर्माण एवं विकास के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कार्यों का सम्पादन कराने हेतु मेसर्स आर0ई0सी0 पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड को "बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर" के रूप में नामित करते हुए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) करने एवं विभागीय स्तर पर राज्य सशक्त समिति के गठन की स्वीकृति के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

2

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल 23165.00 करोड (तेइस हजार एक सौ पैंसठ करोड़) रूपये अनुदान स्वरूप स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 तक की अवधि के लिये प्रतिमाह 1500.41 करोड (एक हजार पॉच सौ करोड़ एकतालिस लाख) रूपये की दर से कुल 18005.00 करोड़ (अठारह हजार पॉच करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को एवं शेष राशि 5160.00 करोड़ (पॉच हजार एक सौ साठ करोड़) रूपये उसी अवधि में प्रतिमाह 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रूपये की दर से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को सीधे उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल 23165.00 करोड (तेइस हजार एक सौ पैंसठ करोड़) रूपये अनुदान स्वरूप स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 तक की अवधि के लिये प्रतिमाह 1500.41 करोड (एक हजार पॉच सौ करोड़ एकतालिस लाख) रूपये की दर से कुल 18005.00 करोड़ (अठारह हजार पॉच करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को एवं शेष राशि 5160.00 करोड़ (पॉच हजार एक सौ साठ करोड़) रूपये उसी अवधि में प्रतिमाह 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रूपये की दर से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को सीधे उपलब्ध कराने की स्वीकृति के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

3

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत 5, मैंगल्स रोड, पटना में साईबर अपराध इकाई तथा विशेष शाखा के लिए भवन (B+G+5 Structure), फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि ₹ 5119.846 लाख (इक्यावन करोड़ उन्नीस लाख चौरासी हजार छः सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने के संबंध में।

साईबर अपराध इकाई तथा विशेष शाखा के भवन निर्माण से पुलिस प्रशासन का ढ़ाँचागत सुदृढ़ीकरण होगा तथा अपराध नियंत्रण और प्रभावी रूप से किया जा सकेगा।

(प्रणव कुमार)
सचिव

4

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस विज्ञप्ति
सूचना

राज्य के गन्ना किसानो के हित में बिहार राज्य चीनी निगम लि० के अधीन बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है जिस हेतु बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1985 में संशोधन किया गया है। इससे राज्य में नये चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों का पुनरूद्धार होगा। इन क्षेत्रों में गन्ना के रकवा के विस्तार के साथ किसानों की आय में वृद्धि होगी।

28/4/2026

(के० सेंथिल कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

Sanlekh attchment 9

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना

राज्य सरकार द्वारा राज्य के चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक मे, उनको आर्थिक स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा–48 के अंतर्गत पेराई सत्र 2025–26 के लिए भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के दर को ईख मूल्य के दर का 1.80% से घटाकर 0.2% के रुप में पुनर्निधारित किया गया है।

(के० सेंथिल कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

letter12

निगरानी विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार आम जनता की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में व्यापक सार्वजनिक निवेश किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का अपेक्षित लाभ लक्षित वर्ग को पहुँचाने के लिए लोक प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त रखना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरूद्ध **''जीरो टॉलरेन्स''** की नीति अपनायी गयी है। इस संदर्भ में निगरानी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयास तेज किये गये है।

उक्त के आलोक में निगरानी विभाग के अन्तर्गत बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों (पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक) को गृह विभाग/बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करते हुये बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित/निरसित करने का निर्णय लिया गया है।

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव
निगरानी विभाग, बिहार, पटना।

(7)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

मंडई वीयर एवं उससे निकलने वाली दायां एवं बायां मुख्य नहर प्रणाली तथा संरचनाओं का निर्माण कार्य, तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹ 424.2046 करोड़ (चार सौ चौंबीस करोड़ बीस लाख छियालिस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

दिनांक 16.03.2005 को उक्त योजना हेतु राशि रु० 4297.95 लाख का मूल प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया है, जिसमें भू–अर्जन के साथ–साथ मुख्य संरचना एवं वितरणियों के निर्माण कराने का प्रावधान था परन्तु कमांड एरिया, ड्रिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलाव के फलस्वरूप नये मद के जरूरत होने के कारण पुनरीक्षित करते हुए दिनांक 24.02.2009 को प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु० 8905.84 लाख दी गयी।

भूमि अधिग्रहण में देरी एवं जन विरोध के कारण प्रथम प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन हो रहे एकरारनामा को बंद करते हुए लीज नीति 2014 एवं बकास्त भूमि की राशि को जोड़ते हुए पुनः पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया, जिसके आलोक में दिनांक 16.03.2017 को द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु० 23283.82 लाख दी गयी।

भू–अर्जन के विभिन्न दर होने के कारण रैयतों द्वारा विरोध करने पर निदेशानुसार मुआवजा की राशि पर अतिरिक्त सूद की गणना, पूर्व से निर्मित नहरों का पुनर्स्थापन, अतिरिक्त संरचनाएँ, नहर/बाँधों के एलाईमेंट में आने वाले वृक्षों एवं विद्युत पोल/टावर स्थानांतरण तथा यांत्रिक इत्यादि कार्य को समाहित करते हुए तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया।

इस योजना के निर्माण से जहानाबाद, नालन्दा एवं पटना जिला के मोदनगंज, हिलसा एवं धनरूआ प्रखंड के 3759 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बहाल हो सकेगी।

योजना को मई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

(8)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रेस नोट

राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एवं अन्य योजनाओं अंतर्गत निर्मित गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के 20730 वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना, गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के 8070 वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना एवं 1133 पाईप जलापूर्ति योजना अर्थात कुल–29933 योजनाएँ जिनका परिचालन एवं रख–रखाव की अवधि दिनांक–31.03.2026 तक समाप्त हो गयी है तथा इन सभी योजनाओं के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) आधारित पर्यवेक्षण (Supervision) एवं मोनिटरिंग हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) अधिष्ठापन के साथ अगले 5 वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल ₹ 360156.615 लाख रू0 (तीन हजार छह सौ एक करोड़ छप्पन लाख इकसठ हजार पाँच सौ रू0) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रस्तावित है जिसके उपरान्त क्रियान्वित की गयी योजनाओं के इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) आधारित पर्यवेक्षण (Supervision) एवं मोनिटरिंग हेतु IOT अधिष्ठापन के साथ अगले 5 वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव किया जायेगा।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

(9)

बिहार सरकार
वित्त विभाग

:: प्रेस नोट ::

SNA-SPARSH विपत्रों के लेखांकन हेतु एक पृथक कोषागार की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम साइबर कोषागार होगा। इसके द्वारा SNA-SPARSH प्रणाली के तहत राज्य के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा भेजे गये विपत्रों के केन्द्रीकृत लेखांकन का कार्य किया जायेगा।

इस हेतु कोषागार एवं लेखा निदेशालय (वित्त विभाग) अंतर्गत साइबर कोषागार (Cyber Treasury) के गठन एवं इसके संचालन हेतु कुल 23 (तेईस) पदों के सृजन की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

२२.४.२६

(रचना पाटिल),
सचिव(व्यय),
वित्त विभाग, बिहार ।

विभाग का नामः- **वित्त विभाग, बिहार, पटना ।**

प्रेस नोट

अप्रत्याशित संभावित आपदाओं से पीड़ित/प्रभावितों को राहत दिये जाने, भारत सरकार से केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए प्राप्त राशि के ससमय व्यय एवं अपेक्षित अतिरिक्त राशि की पूर्त्ति हेतु निधि की उपलब्धता के निमित्त बिहार आकस्मिकता निधि का स्थायी काय जो 350 करोड़ रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि में 30 मार्च, 2027 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर ₹13,900 करोड़ (तेरह हजार नौ सौ करोड़ रुपये) करने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

22.4.26

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

11

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

354(6B)
28/04/2026

प्रेस नोट

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स–1997 में संशोधन हेतु नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग (संशोधन) नियमावली, 2026 को स्वीकृत एवं लागू करने के संबंध में।

28/04/26

(मृणायक दास)
सरकार के विशेष सचिव।

1/70

(12)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD), एक आजीवन चलने वाली न्यूरो–डेवलपमेंटल अवस्था (मस्तिष्क विकास संबंधी स्थिति) है जो संचार, सामाजिक मेलजोल, व्यवहार और सीखने की क्षमताओं को प्रभावित करती है।

ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य अन्तर्गत बच्चों में ऑटिज्म एवं समरूप लक्षणों की स्क्रीनिंग के लिए प्रखण्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सुदृढ़ व्यवस्था करते हुए पटना में ऑटिज्म के लिए प्रारंभिक निदान, थेरैपी, प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु अत्याधुनिक "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना की आवश्यकता है।

ऑटिज्म हेतु "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है। पटना के गर्दनीबाग में, पटना मास्टर प्लान, 2031 के तहत मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण हेतु 4.55 एकड़ भूमि कर्णांकित है, जिस पर ऑटिज्म हेतु "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" का निर्माण किया जायेगा।

ऑटिज्म हेतु "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना से राज्य के ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों/व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

28/04/2026

(मृणायक दास)
सरकार के विशेष सचिव

436(1)
28-4-26

13

सं0सं0–10/पद सृजन–19–05/2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन के लिये "बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी" का गठन किया गया है। बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी के कार्यालय संचालन के लिये विभिन्न 06 (छः) संविदागत पदों के सृजन की आवश्यकता है। इस आलोक में कैंसर रोगियों के लिये विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिये गठित "बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी" के कार्यालय संचालन हेतु आवश्यक विभिन्न 06 (छः) संविदागत पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

28.5.25

(शम्भु शरण)

सरकार के अपर सचिव

14

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस–नोट

विषयः–पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित ''शहरी प्रबंधन इकाई'' के अंतर्गत पुलिस प्रशासन के पदानुक्रम को पूर्ण करने, पुलिसिंग के दृष्टिकोण से बेहतर अनुश्रवण एवं सतत निगरानी तथा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक (नगर व्यवस्था) के 01(एक) पद के सृजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

15

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

बिदुपुर से दिघवारा उत्तरी गंगा पथ (कुल लम्बाई–56 कि०मी० लगभग) परियोजना को PPP (DBFOT Toll) पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम क्रियान्वित कराने एवं DPR परामर्शी एवं Transaction Advisor की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर अनुशंसा प्रदान की गई है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

सारण जिलान्तर्गत दरिहारा (कोन्हुआ)–गोपालगंज जिलान्तर्गत डुमरिया घाट के बीच 4–लेन ग्रीनफिल्ड पथ (कुल लम्बाई– 73.51 कि०मी०) परियोजना को PPP (DBFOT Toll) पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम क्रियान्वित कराने एवं DPR परामर्शी एवं Transaction Advisor की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर अनुशंसा प्रदान की गई है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

बक्सर–आरा–मनेर गंगा पथ (कुल लम्बाई–90 कि०मी० लगभग) परियोजना को **PPP (DBFOT Toll)** पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित कराने एवं **DPR** परामर्शी एवं **Transaction Advisor** की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त की गई।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

18

प्रेस नोट

गया जी जिलांतर्गत कोठवारा बाजार से इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (भू–अर्जित क्षेत्र) के बीच गम्हरिया सामुदायिक भवन के पास फल्गु नदी पर (15 x 24.75 मी.) आकार के उच्च स्तरीय आर.सी.सी पुल–सह–पहुँच पथ सहित निर्माण कार्य हेतु कुल 11384.53 लाख (एक सौ तेरह करोड़ चौरासी लाख तिरपन हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आई.एम.सी.) डोभी अंतर्गत प्रस्तावित योजना जो उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टिकोण से कोठवारा बाजार से इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (भू–अर्जित क्षेत्र) के बीच गम्हरिया सामुदायिक भवन के पास स्थित है, जिसे (एन.एच–99) डोभी–चतरा रोड से संपर्कता हेतु फल्गु नदी पर 2–लेन उच्च स्तरीय आर.सी.सी पुल–सह–पहुँच पथ निर्माण किया जाना है। यह पुल–सह–पहुँच पथ पूर्व से ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित 2–लेन कोठवारा पुल के समानांतर बनाया जायेगा। पुल के दोनो तरफ पहुँच पथ का मार्गरेखन ग्रीन फिल्ड से होकर जायेगी जो कि बसावट वाले इलाके को बायपास करती है, ताकी इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर लैंड एक्वायर एरिया को बिना किसी रूकावट के कनेक्टिविटी मिल सके। साथ ही उक्त पुल के निर्माण से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तक औद्योगिक निर्मित सामग्रीयों की आवाजाही को बेहतर बनाने का भी मुख्य उद्धेश्य है तथा आई.एम.सी. की प्रमुख शहरों, लॉजिस्टिक हब और आस पास के हाईवे के साथ कनेक्टिविटी मिल पायेगी।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

19

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–19850 दिनांक 27.02.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों एवं न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े अन्य हित धारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने, न्यायिक प्रशासन में सुधार करने, न्यायिक पदाधिकारियों में निर्णयन कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से **बिहार न्यायिक अकादमी (कार्य प्रणाली, कार्य संचालन, भर्ती, सेवा शर्त और अनुशासनिक) नियमावली, 2026** की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

Rajendra 24.4.2026

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

D:\sec7\07\Rules\BJA Rules 2026\Press Note.docx

(20)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। प्रेस नोट ।।

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में राज्य के नगर निकायों के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०) के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत कुल राशि ₹425.99 करोड़ (चार सौ पच्चीस करोड़ निन्यानवे लाख रु०) मात्र के सहायक अनुदान के रूप में व्यय करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

सफाई कार्यों में मुख्यतः समाज के वंचित वर्गों के लोग जुड़े होते है, जिन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनके समाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2884 दिनांक–31.07.2025 द्वारा "बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग" का गठन किया गया है। उक्त आयोग के कार्यालय के सुचारू संचालन हेतु वार्षिक कुल रु० 1,32,45,000/–(एक करोड़ बत्तीस लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर विभिन्न कोटि के कुल 11 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

22

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

राज्य में खनिज के बेहतर प्रबंधन एवं अवैध खनन/परिवहन पर कड़ा अंकुश लगाने हेतु बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गई है। संशोधन में मुख्य रूप से बंदोबस्ती के उपरांत प्रत्यार्पण को रोकने, पत्थर खनन पट्टों के बंदोबस्ती से अधिकतम राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु नीलामी राशि के भुगतान की रीति का निर्धारण करने तथा प्रत्येक समानुदानधारक एवं परमिटधारक से पर्यावरण प्रबंधन शुल्क एवं प्रबंधन शुल्क अधिरोपित करने के अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रावधान भी शामिल किये गये हैं।

नियमों में संशोधन हो जाने से प्रचलित खनन प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आयेगी तथा सरकार के नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभाग का खनन पट्टों पर अधिक नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। साथ ही सरकार के राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

21/04/26.

(भारत भूषण प्रसाद)
अपर सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग।

23

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्यान्तर्गत अंतिम जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती हेतु सहमति, बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131झ(छ) के तहत नामांकन के आधार पर ई–नीलामी प्लेटफॉर्म हेतु मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एम0एस0टी0सी0) का चयन एवं बंदोबस्ती ई–नीलामी के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति दी गई है। राज्यान्तर्गत पत्थर खनन पट्टों की नीलामी से अवसंरचनात्मक विकास हेतु सरकारी परियोजनाओं एवं आमजनों को उचित दर पर पत्थर/स्टोन चिप्स प्राप्त हो सकेंगे तथा सरकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की लागत में कमी आएगी। पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती से राजस्व में वृद्धि के साथ रोजगार भी सृजित होंगे।

(भारत भूषण प्रसाद)
अपर सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग

24

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत पटना सिटी अंचल के मौजा–संदलपुर, थाना सं0–11, वार्ड सं0–17 में कुल प्रस्तावित रकवा–2.9906 एकड़ वर्तमान में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की भूमि पर राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान (NINI) के विकास एवं विस्तार हेतु राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान (NINI), (भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

भोजपुर जिलान्तर्गत अंचल–सदर आरा के मौजा–धनपुरा, थाना सं0–164, खाता सं0–210, खेसरा सं0–1300, रकवा–2.56 एकड़ एवं खेसरा सं0–1301, रकवा–2.44 एकड़ कुल प्रस्तावित रकवा–05 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) नई दिल्ली को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :– [signature]
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

मुंगेर जिलान्तर्गत अंचल–हवेली खड़गपुर का मौजा–मंझगांय, थाना सं0–393, खाता सं0–216, खेसरा सं0–1396, खतियानी कुल रकवा–6.16 हेक्टेयर में से कुल प्रस्तावित रकवा–4.92 हेक्टेयर अर्थात् 12.16 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि, किस्म–पहाड़ पथ प्रमण्डल, मुंगेर अन्तर्गत खड़गपुर–तारापुर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु वन भूमि अपयोजन तथा वृक्षों का पातन एवं विस्थापन (Translocation) के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मधुबनी अंचल के मौजा–तौलाहा, थाना सं0–263, खाता सं0–03, खेसरा सं0–3355/01 कुल प्रस्तावित रकबा–5.81 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पर डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

नवादा जिलान्तर्गत अंचल–नवादा के मौजा–भदौनी, थाना सं0–378, खाता सं0–579, खेसरा सं0–797/2168 की कुल प्रस्तावित रकवा–05 एकड़, किस्म–धनहर–2 कृषि विभाग, बिहार, पटना के स्वामित्व की भूमि नए केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

भागलपुर जिलान्तर्गत अंचल–पीरपैंती, मौजा–हरिणकोल, थाना सं0–81, खाता सं0–685 के विभिन्न खेसरा, रकवा–11.69 एकड़ एवं मौजा–सिरमतपुर, थाना सं0–78, खाता सं0–2650, खेसरा सं0–4473, रकवा–0.85 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकवा–12.54 एकड़ बिहार सरकार सर्वसाधारण की भूमि पर थर्मल पावर परियोजना, पीरपैंती की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल–वेन के मौजा–खैरा, थाना सं0–371, खाता सं0–457, खेसरा सं0–643 की कुल रकवा–10.05 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (IDTR) की स्थापना हेतु परिवहन विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

70/70

31

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेस नोट

संचिका संख्या–4सं/वि.2–05/2026

कला एवं संस्कृति विभाग के संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत स्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय प्रारंभ करने एवं संग्रहालय का नाम "भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय–सह–वाचनालय" किए जाने की स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रस्ताव से उक्त परिसर में आगंतुकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव,
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

32

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना के तहत पठन–पाठन कार्य के सुचारू संचालन तथा विभागीय प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों हेतु पूर्व से सृजित 85 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए विभिन्न कोटि के कुल 250 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।

(आनन्द किशोर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

33

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना का नामकरण "पटना जू (Patna Zoo)" करने एवं इस उद्यान के संचालन हेतु गठित संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी का नामकरण "पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी" करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

34

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य में पर्यावरणीय एवं जलवायु सहनशील गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु "बिहार हरित जलवायु कोष (Bihar Green Climate Fund-BGCF)" के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

35

प्रेस नोट

विभाग का नाम :–स्वास्थ्य विभाग

संचिका संख्या :–12 / प0क0–09–05 / 2016

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान अधिनियम–1994 एवं नियम–2014 एवं नियम–2020 के आलोक में "उदरीय श्रोणी अल्ट्रासोनोग्राफी **(Abdomino- Pelvic Ultra Sonography)** के मूलभूत एम0बी0बी0एस0 डॉक्टरों के लिए स्तर एक **(Level one)"** अल्ट्रासोनोग्राफी **(Abdomino-Pelvic Ultra Sonography)** का छः महीने का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रक्रिया, प्रशिक्षण हेतु संस्थानों का नामांकन तथा निर्दिष्ट संस्थानों में सीटों की संख्या निर्धारण हेतु दिशानिर्देश की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया है।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

36

बिहार सरकार

गृह विभाग

<u>प्रेस नोट</u>

अपराध नियंत्रण एवं सुरक्षात्मक वातावरण बनाये रखने में राज्य सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली में सक्षम होने के लिए जन सहयोग एवं जन भागीदारी आवश्यक है। इस हेतु राज्य के वाणिज्यक प्रतिष्ठानों एवं महत्वपूर्ण तथा भीड़—भाड़ वाले स्थलों पर इन स्थलों के संचालको के द्वारा अपने अधीन प्रतिष्ठानों एवं स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय अधिष्ठापित करने से असामाजिक तत्वों के कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। इससे विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच समरसता तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने में जन भागीदारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा अपराध कारित होने पर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सकती है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार राज्य के प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक केन्द्र, अस्पताल, बैंक, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं सुरक्षात्मक उपकरण अधिष्ठापन करने के उद्देश्य से बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्त्तन अधिनियम, 2024 बनायी गयी है।

उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन नियमावली, 2026 की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

29.4.2026

(नवीन चन्द्र)
संयुक्त सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।

37

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया अंचल के मौजा–कल्होड़िया, थाना सं0–201/40, खाता सं0–01, खेसरा सं0–05 की कुल प्रस्तावित रकवा–49 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि पर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय (सी0टी0एस0) के स्थायी अधिष्ठापन हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

गया जी जिलान्तर्गत गुरारू अंचल के मौजा—बथानी, थाना नं0—253, मौजा—केखड़ा, थाना नं0—02, मौजा—मंगरावाँ, थाना नं0—39, मौजा—पहरा, थाना नं0—64, मौजा— हरिनारायणपुर, थाना नं0—62, मौजा—देवकली, थाना नं0—40, एवं मौजा—गंगटी, थाना नं0—41 के विभिन्न खाता एवं खेसरा में अवस्थित कुल रकवा— 6.0751 एकड सरकारी भूमि उत्तर कोयल नहर परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— जय सिंह
पदनाम :— सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

बाँका जिलान्तर्गत अंचल—अमरपुर, मौजा—पाठकी, थाना सं0—215 के खाता सं0—39, खेसरा सं0—65 कुल रकवा—08 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म—परती कदीम भूमि पर 132/33 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि—5,40,00,000/— (पाँच करोड़ चालीस लाख) रूपये के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— जय सिंह
पदनाम :— सचिव

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

"मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में आवासीत एवं अध्ययनरत, छात्र/छात्राओं का छात्रावास अनुदान ₹1000/-(एक हजार रू0 मात्र) प्रति छात्र प्रतिमाह से बढ़ाकर 01 अप्रैल, 2026 से ₹2000/-(दो हजार रू0 मात्र) प्रति छात्र प्रतिमाह करने की स्वीकृति है।

विभागीय संकल्प सं0–1141 दिनांक–10 मई, 2018 के द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक छात्रों को **₹1000/-(एक हजार रू0 मात्र)** का अनुदान दी जाती है। जिसे ₹2000/-(दो हजार रू0 मात्र) प्रति छात्र प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई है।

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए कुल 139 छात्रावास संचालित हैं, जिसकी आवासन क्षमता लगभग 10500 है। इस बढ़े हुए दर से सभी छात्र/छात्राएँ लाभांवित होंगे।

24-4-26

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेस नोट

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता को देखते हुये एवं डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्रों को क्षमता संवर्धन, कौशल बढ़ाने एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना है। डेयरी टेक्नोलॉजी में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन तैयार करना है। डेयरी टेक्नोलॉजी में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को प्रोत्साहित करना तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा समस्या आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा शिक्षण और ज्ञान प्रसार के लिए एक सहयोगी वातावरण बनाने के उद्देश्य से संजय गाँधी गव्य प्रावैद्यिकी संस्थान, पटना का रूपांतरण बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना किये जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की संपन्न बैठक में प्रदान की गई है।

(शीर्षत कपिल अशोक)
सचिव

42

69/70

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक शिक्षा अकादमी एवं अन्य बनाम् कर्नाटक राज्य एवं अन्य (2003) 6 एससीसी 697 और पी०ए० इनामदार एवं अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2005) 6 एससीसी 537 तथा अन्य सुसंगत वादों में पारित न्याय निर्णयों के अलोक में राज्य के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में नामांकन को विनियमित करने एवं ऐसे संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्कों को निर्धारित किया जाना अनिवार्य है। इसका मूल उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों की मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकना है।

वर्तमान में बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2026 अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम की धारा–11 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने एवं अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए नियम बनाना आवश्यक है।

बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) नियमावली, 2026 का गठन किया गया है। प्रस्तावित नियमावली के अन्तर्गत नौ सदस्यीय नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित सात सदस्य एवं एक सदस्य सचिव होंगे। अध्यक्ष एवं दो सदस्य की नियुक्ति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, तीन सदस्य पदेन होंगे एवं शेष दो सदस्य, जिसमें एक चार्टर्ड

अकाउंटेंट एवं एक प्रतिष्ठित स्वतंत्र व्यक्ति होंगे, को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित / सहयोजित किया जायेगा।

इससे राज्य में निजी महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली शुल्क को विनियमित किया जायेगा ताकि शिक्षा में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोका जा सकेगा। साथ ही, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा छात्र / छात्राओं और अभिभावकों के हितों की रक्षा के साथ–साथ शैक्षणिक संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता और स्वायत्तता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

438(1)
29-4-26

(मृणायक दास)
सरकार के विशेष सचिव

43

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना सहित राज्य अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में मरीजों के साथ उनके परिजन भी इलाज के दौरान आते हैं। अस्पताल के पास उचित दर पर आवासन की सुविधा नहीं होने पर इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में उपचार हेतु आने वाले रोगियों के परिजनों हेतु उचित एवं सस्ते दर पर गुणवत्तापूर्ण आवासन हेतु विश्राम गृह निर्मित किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत उचित प्रस्ताव आने पर इसके निर्माण की सहमति दिया जाना जनहित में है। Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत विश्राम गृह निर्मित करने वाली संस्था एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) किया जायेगा।

इससे इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना सहित राज्य अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में रोगियों के परिजनों हेतु Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत विश्राम गृह की स्थापना से मरीजों के परिजनों को आवासन हेतु सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

439(1)
29-4-26

29/04/2026
(मृणायक दास)
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

प्रेस नोट

ऊर्जा विभाग के संकल्प सं0– 1011 दिनांक– 16.03.2022 में लिए गए निर्णय के आलोक में थर्मल पावर परियोजना, पीरपैंती हेतु अधिग्रहित भूमि (1020.60 एकड़) का हस्तान्तरण लीज डीड के माध्यम से ऊर्जा विभाग द्वारा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को 33 वर्षों के लिए 01 (एक) रूपये प्रतिवर्ष की सांकेतिक दर पर किया गया है।

उक्त संकल्प के आलोक में थर्मल पावर परियोजना, पीरपैंती (भागलपुर) हेतु अधिग्रहित भूमि (1020.60 एकड़) को ऊर्जा विभाग द्वारा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को हस्तान्तरित किये जाने संबंधी लीज दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क में शत्–प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

थर्मल पावर परियोजना एक औद्योगिक इकाई है, जिसके अधिष्ठापन से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, बल्कि राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य का विकास होगा।

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट।।

विषयः– राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एन0यू0डी0एम0) के अन्तर्गत सभी नगर निकायों में ई–गवर्नेन्स मॉड्यूल्स के निर्माण, विकास, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव के साथ–साथ दोहरी लेखा प्रणाली को अभिन्न रूप से संधारित करने हेतु आगामी पाँच वर्षों में वस्तु एवं सेवाकर सहित कुल राशि ₹119,90,52,000/– (एक सौ उन्नीस करोड़ नब्बे लाख बावन हजार रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई।

(विनय कुमार),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। प्रेस नोट।।

विषयः— नमामि गंगे कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से गृह संयोजन कार्य हेतु दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज नेटवर्क योजना अनुमानित लागत राशि रू० 72,65,31,500 (बहत्तर करोड़ पैंसठ लाख इकतीस हजार पांच सौ रूपये) मात्र का बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के अंतर्गत रिंग फेन्स एकाउन्ट में संधारित रू० 4000/— करोड़ मात्र से व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

47

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

विषयः— केन्द्र प्रयोजित सिटी इनवेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एवं सस्टेन 2.0 (CITIIS 2.0) योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल राशि रू० 93,75,00,000.00 (तिरानवे करोड़ पचहत्तर लाख रू०) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

संoसंo-एम-4-03/2021

48

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप स्थानीय औद्योगिक इकाईयों/उद्यम को बढ़ावा देते हुये रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वित्त विभागीय अधिसूचना सं0-8550 दिनांक-07.08.2024 द्वारा बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 प्रवृत्त है। बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों एवं स्टार्टअप इकाईयों पर विशेष ध्यान देते हुये क्रय इकाईयों द्वारा की जानेवाली खरीद में स्थानीय औद्योगिक इकाईयों की भागीदारी बढ़ाने के साथ इनके बीच प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि सुनिश्चित करता है।

बिहार के उद्यमों की गतिशीलता को सुगम बनाने एवं स्थानीय उद्यमों को अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बिहार में अवस्थित सभी उद्योगों को बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

इससे स्थानीय औद्योगिक इकाईयों/उद्यमों का उत्तरोत्तर विकास होगा तथा राज्य के स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्राप्त होंगे।

29.4.26

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)।

(49)

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 15/पी 5–03/2026

प्रेस नोट

राज्य सरकार के सात निश्चय–3 (2025–30) का चतुर्थ निश्चय "उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य" अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय रहित प्रखंडों (208 प्रखंडों की सूची–अनुलग्नक–'क') में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना व नामकरण, महाविद्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले राज्य के विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता, महाविद्यालयों के औपबंधिक संचालन, प्रति महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से कुल 9152 पदों के सृजन तथा महाविद्यालय में पठन–पाठन प्रारंभ करने हेतु औपबंधिक रूप से चिन्हित संस्थानों के जीर्णोद्धार एवं विविध व्ययों के निमित्त प्रति महाविद्यालय ₹ 50 लाख की दर से ₹ 104,00,00,000/–(एक सौ चार करोड़) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन महाविद्यालयों के स्थापना से राज्य में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी। साथ ही साथ ग्रामीण एवं सुदूर इलाके के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

29/4/2026
(राजीव रौशन)
सचिव

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित योजना डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डी0आई0एल0आर0एम0पी0) एवं राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र वित्तीय वर्ष 2025–26 में की गयी घोषणा के आलोक में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किये जाने हेतु "बिहार निबंधन नियमावली, 2026" की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–22.04.2026 को मद संख्या–1 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

निबंधन की प्रक्रिया को पेपरलेस किये जाने के कारण दस्तावेजों के निबंधन में छपे हुये गैर न्यायिक मुद्रांक अथवा छपे हुए ई–स्टाम्प का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके स्थान पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान ई–स्टाम्प कोड के माध्यम से हो सकेगा। इसके अतिरिक्त वैसे दस्तावेज जिनका निबंधन अनिवार्य नहीं है, के लिए ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र भौतिक रूप में निर्गत हो सकेगा। इस हेतु सेवा प्रदाता के माध्यम से ई–स्टाम्प कोड की बिक्री/निर्गत किये जाने, पेपरलेस निबंधन प्रक्रिया में ई–फाईलिंग के द्वारा दस्तावेज तैयार करने, दस्तावेज पर पक्षकारों एवं गवाहों का ई–साईन प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदाता के लिए "बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई–स्टाम्प की आपूर्त्ति) नियमावली, 2026" गठन किया जाना है।

इस नियमावली के अंतर्गत वर्त्तमान में निबंधन कार्यालयों में कार्यरत दस्तावज लेखक तथा मुद्रांक विक्रेताओं को तथा अधिवक्ताओं को भी सेवा प्रदाता के रूप में अनुज्ञप्ति दिए जाने की व्यवस्था की गई है। सेवा प्रदाता के माध्यम से पक्षकारों को ई–स्टाम्प कोड की बिक्री/निर्गत, दस्तावेज की ई–फाईलिंग एवं ई–साईन किये जाने में काफी सुविधा उपलब्ध होगी। इससे निबंधन कार्य में सुगमता एवं निबंधन की प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत होगी।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

51

प्रेस–नोट

विषयः– राज्य के चार शहरों यथा–भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ(नालंदा) एवं गयाजी हेतु BPR&D के Norms 2015 के अनुरूप यातायात पुलिस के विभिन्न कोटियों में 485 पदों के सृजन एवं पूर्व से सृजित कुल 1606 पदों को कर्णांकित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

(52)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत अंचल—पटना सदर, मौजा—पुरन्दरपुर, थाना सं0—21, खाता सं0—31 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा—2.3421 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), पटना की स्थापना हेतु 10 (दस) रूपये टोकन सलामी एवं एक रूपया टोकन वार्षिक लगान के भुगतान पर लीज नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षीय लीज पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) को बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— जय सिंह
पदनाम :— सचिव

53

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेस नोट

परिवहन विभाग को प्राप्त कुल राज्य राजस्व में निर्गत चालानों से प्राप्त राशि का अंशदान के समीक्षोपरान्त पाया गया कि मोटरयान अधिनियम के कतिपय धाराओं में संबंधित अपराध के लिए दंड की राशि हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम निर्धारित किया गया है, जिसके कारण समान अपराधों के लिए अलग–अलग शास्ति की राशि अधिरोपित हो जाती है एवं वाहन स्वामी इसे संशोधित कराने का अनुरोध करते है तथा चालान संशोधन की प्रत्याशा में राशि जमा करने में विलम्ब करते है।

उपर्युक्त मामले को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 90 दिनों से अधिक अवधि तक लंबित चालानों के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष, 2026–27 के लिए "एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026" लायी जा रही है एवं इस योजना के अन्तर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित कतिपय धाराओं में शास्ति की राशि मे संशोधन किया जा रहा है। साथ ही 90 दिनों से अधिक अवधि तक लंबित चालानों को वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा निष्पादित कराया जाएगा, ताकि सभी वाहनों पर समान रूप से चालान निर्गत हो एवं वाहन स्वामियों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

(राज कुमार)

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

47/70

54

प्रेस नोट

राज्य सरकार के सात निश्चय–3 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य की सूची की क्रम संख्या–2 (ड़) में यह प्रस्ताव है कि अगले पाँच सालों में एक करोड़ नौकरी एवं रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे। मूलतः राज्य सरकार का उद्देश्य है कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकतम 50 करोड़ (25 लाख से अन्यून) तक के लागत वाले राज्याधीन सिविल कार्यों के लिए राज्य स्तरीय संवेदको को अधिमानता दिये जाने हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता में कंडिका–163(A) सम्मिलित किया गया है :–

प्रस्ताव है :–

वैसे सिविल कार्य जिसकी निविदा राशि, अधिकतम 50 करोड़ है एवं 25 लाख से अन्यून है, में राज्यस्तरीय संवेदक/ निविदाकर्त्ता को अधिमानता दी जायेगी।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

55

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेस नोट

श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना की संविदा अवधि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका संख्या–3(2)(ख)(V) को शिथिल करते हुए दिनांक–01.03.2026 से अगले 01 (एक) वर्ष के लिए अथवा अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति होने, जो पहले हो, तक विस्तारित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

23.04.2026

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\DEPARTMENT ALL LETTER\SANLEKH old.doc

56

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार के सात निश्चय–3 (2025–30) "**उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य**" के अन्तर्गत राज्य के सभी जिला स्कूल एवं प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) के रूप में विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि कुल ₹8,00,00,00,000/–(आठ अरब) रूपये खर्च किया जाना है।

इन मॉडल विद्यालयों का उद्देश्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं नवाचार–आधारित शिक्षा प्रदान करना है, ताकि प्रत्येक प्रखंड में एक ऐसा सार्वजनिक विद्यालय विकसित किया जा सके, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता का मानक राज्य के साथ–साथ देश में स्थापित कर सके।

उक्त मॉडल विद्यालयों की स्थापना हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया है। मॉडल स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षण हेतु श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों एवं गुणवत्तापूर्ण छात्रों का चयन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड पर किया जा रहा है।

बेहतर शिक्षण हेतु क्रियाशील विज्ञान प्रयोगशाला, क्रियाशील ICT लैब, क्रियाशील पुस्तकालय, डिजिटल स्क्रीन सहित स्मार्ट कक्षा, कोचिंग की व्यवस्था, साप्ताहिक परीक्षण द्वारा प्रगति की सतत् निगरानी, इच्छुक/जरूरतमंद छात्रों के लिए रिमेडियल कक्षाएँ आदि की व्यवस्था की जायेगी।

उक्त विद्यालयों में मानक के अनुसार पर्याप्त कक्षाएँ, पर्याप्त स्कूल फर्नीचर, खेल सुविधाएँ, बाउंड्री वॉल, पेयजल, हैंडवाश स्टेशन, बालक–बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, स्वास्थ्य एवं Menstrual Hygiene हेतु सुविधाएँ, हाई स्पीड इंटरनेट आदि उपलब्ध करा दिया जायेगा। छात्रों के समग्र विकास हेतु पाठ्यक्रम के साथ–साथ अतिरिक्त गतिविधियाँ (Co-curricular एवं extra-curricular activities) संचालित की जाएगी।

(दिनेश कुमार)
सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

57

बिहार सरकार

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य में हरितावरण में वृद्धि के उद्देश्य से वन क्षेत्र एवं उसके बाहर वृक्षारोपण हेतु कई योजनायें संचालित हैं। वर्त्तमान में विभाग का कार्यक्षेत्र केवल पारंपरिक वन–प्रबंधन और संरक्षण तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि समय के साथ इसमें ईको पर्यटन परियोजनाओं, बड़े भवन एवं पक्की सड़क का निर्माण कार्य के साथ–साथ अन्य विशिष्ट संरचनात्मक परियोजनाओं का भी समावेश हो गया है। इन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ इंजीनियरिंग कौशल एवं तकनीकी दक्षता की आवश्यकता है।

बड़े निर्माण कार्यों एवं जटिल इंजीनियरिंग परियोजनाओं (जैसे ईको–पर्यटन से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, पर्यटक आवासीय भवन/सुविधाओं, उच्च स्तरीय सिविल–संरचनाओं, पक्की सड़क एवं बड़े पुल का निर्माण) के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार के अधीन अभियंत्रण–संभाग के गठन की आवश्यकता है।

इस आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार अन्तर्गत अभियंत्रण संभाग का गठन एवं इस संभाग हेतु मुख्य अभियंता का 01 पद, अधीक्षण अभियंता का 01 पद, कार्यपालक अभियंता का 05 पद, सहायक अभियंता का 10 पद, कनीय अभियंता का 20 पद, कार्यालय सहायक कर्मी के रूप में 02 उच्च वर्गीय लिपिक, 06 निम्न वर्गीय लिपिक, 06 वाहन चालक, 06 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 06 कार्यालय परिचारी अर्थात् कुल 63 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस नोट

सात निश्चय–3 के अन्तर्गत "सबका सम्मान–जीवन आसान" के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के संचालन/रख–रखाव एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं इस पर प्रतिवर्ष व्यय होनेवाली कुल राशि ₹69,79,08,000.00 (उनहत्तर करोड़ उन्यासी लाख आठ हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृति से सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के संचालन/रख–रखाव के बेहतर प्रबंधन से शवों की अंत्येष्टि हेतु आमजनों को बेहतर सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी। साथ ही मृतक के परिजनों को त्वरित रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध हो सकेगा।

29/4/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

59

बिहार सरकार
राजस्व एवं सुधार विभाग

प्रेस नोट

वर्ष, 1893 में तत्कालीन बेतिया राज के महाराजा के नावल्द मृत्यु के पश्चात् समस्त बेतिया राज की सम्पत्ति को 01 अप्रैल, 1897 को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अन्तर्गत लाया गया। तब से बेतिया राज की सम्पत्ति की देख–रेख एवं प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा किया जाता है। बेतिया राज की सम्पत्ति की देख–रेख के क्रम में यह बात प्रकाश में आया की सम्पत्ति का समुचित प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के माध्यम से करने में काफी व्यवहारिक कठिनाईयाँ है।

इस परिस्थिति को देखते हुए यह विचार उठा कि बेतिया राज की सम्पत्ति को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के स्थान पर राज्य सरकार में निहित कर दिया जाय। ताकि, जिला पदाधिकारियों का उस पर सीधा नियंत्रण हो सके। बेतिया राज की समस्त चल–अचल सम्पत्तियाँ, जो बिहार राज्य में अवस्थित है, बिहार सरकार के सीधे नियंत्रण में करने के लिए बेतिया राज की सम्पत्तियों को निहित करने वाली अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 23, 2024) अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बेतिया राज की सम्पत्तियों को निहित करने वाली नियमावली, 2026 का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों के निपटान की रीति एवं समाहर्त्ता द्वारा सम्पत्तियों को कब्जा में लेने की प्रक्रिया, सम्पत्तियों का वर्गीकरण, प्रबंधन और निपटारा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अपील, पुनरीक्षण, इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान को सम्मिलित किया गया है।

(जय सिंह),
सचिव।

60

बिहार सरकार
राजस्व एूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश राज्य अन्तर्गत मौजा–डोमरी, परगना–राल्हूपुर, तहसील–सदर, जनपद–वाराणसी कुल रकवा–3.159 हेक्टेयर बेतिया राज की भूमि पर हेलीपोर्ट परियोजना के पूर्ण/विकास के लिए पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय आयुक्त वाराणसी मंडल, वाराणसी का पत्रांक–029/प0 के0वा0–हेलीपोर्ट/2025–26, दिनांक–07.04.2026 द्वारा निर्माणाधीन हेलीपोर्ट परियोजना को पूर्ण/विकसित करने के लिए राजस्व पर्षद, बिहार से अनापत्ति प्रदान करने की माँग की गई है।

उक्त भूमि बेतिया राज की सम्पत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम, 2024 के तहत बिहार सरकार में निहित है।

वाराणसी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, जिसका अपना धार्मिक महत्व भी है। हेलीपोर्ट परियोजना के पूर्ण/विकास हेतु उक्त भूमि के संदर्भ में अनापत्ति प्रदान करने के फलस्वरूप राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को आवागमन में सुविधा होगी।

अतः पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को बेतिया राज की उक्त भूमि को इस शर्त्त के साथ कि स्वामित्व एवं मालिकाना हक (Title) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार में सन्निहित (Vested) रहेगा, साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर वाद सं0–13011/2019 के आदेश के फलाफल से प्रभावित रहेगा, अनापत्ति प्रदान की जाती है।

(जय सिंह),
सचिव।

(61)

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस—नोट

विषयः—बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के सृजित—20937(बीस हजार नौ सौ सैतींस) पदों में से 50%(पचास प्रतिशत) पद प्रोन्नति के लिए चिन्हित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(अनिल चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

63/64

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट का प्रारूप

विभागीय संकल्प संख्या–802 दिनांक 25.04.2025 की कंडिका–4 के प्रावधान को उक्त हद तक संशोधित करते हुए "मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)" अन्तर्गत योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन योजनावार निविदा के माध्यम से निविदा अभिलेख (SBD/CMBD) के आधार पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य के सभी 38 जिलों में मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षित 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी अनजुड़े ग्राम/टोला/बसावट जो अभी तक असम्पर्कित हैं या राज्य या ग्रामीण कार्य विभाग की किसी योजना में स्वीकृत/चयनित नहीं हैं उन्हें बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है ताकि राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकेगा साथ ही ग्रामीणों की आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

(दिवेश सेहरा)
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग

64

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत ग्रामीण पथ आरेखनों में निर्बाध सम्पर्कता के लिए "मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना" के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति प्रस्तावित है। विभागीय संकल्प संख्या 3012 दिनांक 13.09.2024 की कंडिका संख्या–09 के अनुसार के अनुसार इस योजना के तहत आवश्यकतानुसार कार्य प्रमंडलवार/कार्य अवर अनुमंडलवार योजनाओं का पैकेज तैयार कर निविदा के माध्यम से कार्य सम्पन्न कराया जायेगा। इस संबंध में उक्त प्रावधान को संशोधित करते हुए ग्रामीण पथ आरेखनों पर मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत सभी योजनाओं का निविदा योजनावार कराये जाने का प्रस्ताव है।

(दिवेश सेहरा)
सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग